AMITY UNIVERSITY

स्टूडेंट बार फ़ोरम

६ राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता

Amity Youth Fest 2022

विवरणिका

ऐमिटी लॉ स्कूल, नोएडा गर्व से प्रस्तुत करता हैं

६ राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2022

२४ – २६ मार्च ' २०२२

विषयसूची

क्रमिक संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
१	**अवधारणा पत्र**	1-2
२	**आयोजकों के बारे में**	3
३	**स्टूडेंट बार फोरम के बारे में**	4-5
४	**आयोजकों का संदेश**	6-7
५	**निर्देश**	8-16
	प्रतियोगिता का आयोजन	8
	भागीदारी की व्याख्या	9
	पंजीकरण	9
	मेमोरियल	10-12
	मूट प्रक्रिया	12-14
	शोधकर्ताओं का परीक्षण	14-15

विषयसूची

क्रमिक संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	पुरस्कार	15
	अनोनिमिटी	15
	सामान्य और तकनीकी निर्देश	15-17
६	**एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के स्तंभ**	18-20

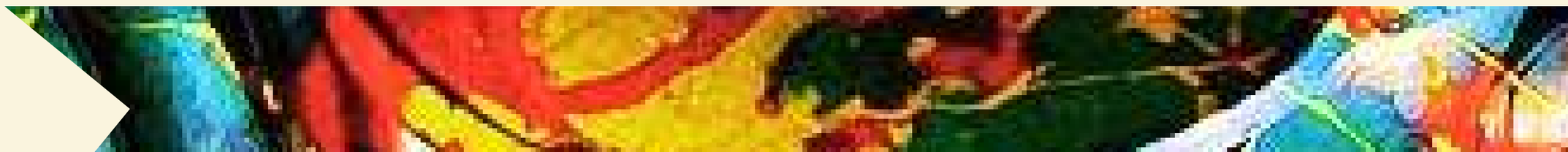

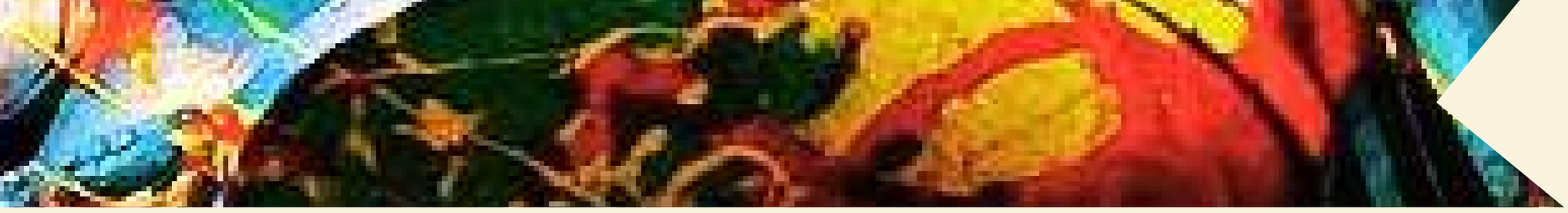

“ वीर भोग्य वसुंधरा ”

न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि।
व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं भाषाधनं सर्वधनप्रधानम् ।।

अर्थात यह चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता है। नहीं है जायदाद की तरह भाइयों में बांटा जाता है ना ही इसका कोई वजन है। यह एकलौती ऐसी चीज है जो खर्च करने से घटती नहीं है अपितु बढ़ती है। भाषा और विद्या ही सर्वोत्तम दौलत है।

भाषा विकास की सारथी है और यह विचारों को व्यक्त करने का प्रमुख साधन है। यह वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति के मन की बात को शब्दों और वाक्यों के समूह से मिलाकर किसी के भी समक्ष पेश किया जा सकता है।

समकालीन समय में जब कानूनी शिक्षा एक बहुत ही समृद्ध और प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में महत्व प्राप्त कर रही है, इसकी शिक्षा के सर्वोच्च वितरण व हर विद्वान को समझाने में भाषा एक बहुत बड़ी समस्या व बाधा है।

एक सयुंक्त राष्ट्र होने के नाते हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में भाषा के माध्यम को चुनना अपने आप में एक बहस का गंभीर मुद्दा है और इस पर निर्णय करना कि वह सब की जरूरतों को पूरी करेगा और सबके लिए सुलभ होगा यह स्पष्ट करना काफी कठिन है। भाषा तरीका है जिससे हमने ज्ञान को अर्जित किया तथा यह वह माध्यम है जिससे हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं ।

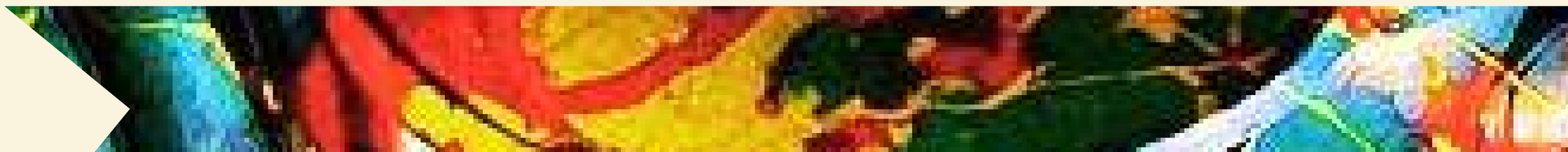

“ वीर भोग्य वसुंधरा ”

न्यायिक परिपेक्ष में भी हिंदी की प्रासंगिकता अछूती नहीं है । सरकारी परीक्षाएं हों या फिर कचहरी का काम हिंदी की अनिवार्यता पर आक्षेप करना बेमानी होगा ।हिंदी भाषा में कानूनी कामकाज की महत्वता को मद्देनज़र रखते हुए एमिटी विधि संस्थान , एमिटी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में **६ एमिटी राष्ट्रीय हिंदी आभासी न्यायालय प्रतियोगिता २०२२** *(6th Amity National Moot Court Competition, 2022)* का भव्य आयोजन किया जा रहा हैं। प्रतियोगिता कि वाद समस्या के अध्यन हेतु विभिन्न धर्मो के व्यक्तिगत कानून , भारतीय दंड संहिता एवं अन्य आपराधिक कानूनों के सन्दर्भ में पढ़ा जा सकता हैं ।आशा करते हैं कि आप सभी अपनी सफल प्रतिभागिता से हिंदी भाषा को समर्पित इस शैक्षणिक यज्ञ में अपने प्रयत्नों से आहूति देंगे ।

एमिटी लॉ स्कूल नोएडा के बारे में

एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा कानूनी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक शैक्षिक समाज आरबीईएफ (रिटनंद बाल्वेड एजुकेशन फाउंडेशन) द्वारा स्थापित एक संस्था है। संस्थापक ट्रस्टी, एक एनआरआई, और एक उद्योगपति, और आरबीईएफ के अध्यक्ष, डॉ अशोक के चौहान एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। एमिटी लॉ स्कूल में अध्यापन 3 नवंबर 2004 से शुरू हुआ।

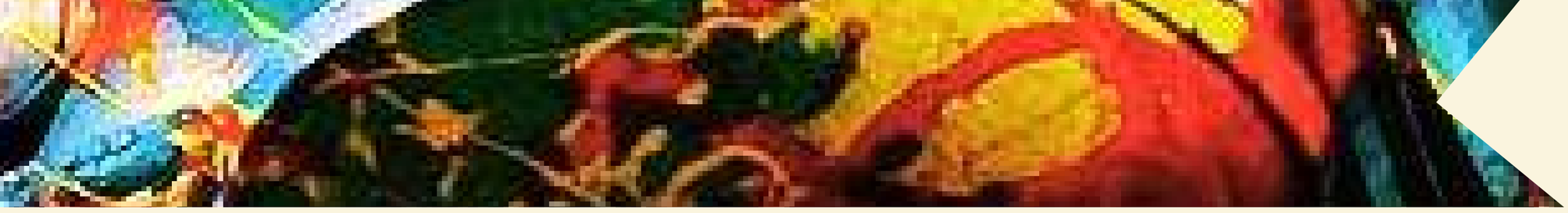

स्टूडेंट बार फोरम के बारे में

मूट कोर्ट सोसाइटी ऑफ एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा की स्थापना 2010 में हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अशोक के. चौहान और अतिरिक्त निदेशक स्वर्गीय प्रो. ममता श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन और हमारे संकाय सदस्यों के अपार योगदान से हुई थी। हालाँकि, वर्ष 2015 में, हमारे अतिरिक्त निदेशक, संरक्षक और संकाय प्रभारी श्री तुषार वेद सक्सेना के तत्वावधान में सोसाइटी को 'स्टूडेंट्स बार फोरम, एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा' के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

स्टूडेंट्स बार फोरम एक छात्र समिति है जिसे एमिटी लॉ स्कूल नोएडा ने खुद को स्थापित किए गए उत्कृष्टता के उच्च मानकों को कायम रखते हुए मूटिंग गतिविधियों, एडीआर टूर्नामेंट और क्लाइंट परामर्श प्रतियोगिताओं को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। छात्र बार फोरम की भूमिका एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा में मूटिंग, एडीआर टूर्नामेंट और क्लाइंट परामर्श प्रतियोगिताओं की सुविधा और विनियमन करना है। इसमें आयोजित विभिन्न मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं की योजना बनाना, आयोजन करना और निष्पादित करना शामिल है। स्टूडेंट्स बार फोरम का दूसरा प्रमुख जनादेश दुनिया भर में विभिन्न मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं के लिए यूनिवर्सिटी मूट टीमों का गठन करना है। इसमें हमारे संकायों की देखरेख में प्रतिस्पर्धी टीमों की पूर्व स्क्रीनिंग प्रक्रिया शामिल है। तीसरा प्रमुख

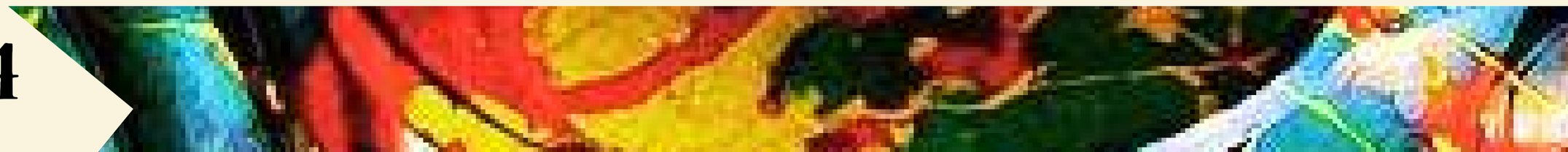

मूकार्य जो छात्र बार फ़ोरम करता है, वह है भविष्य के विचारकों को विकसित करना, साथ ही साथ लूट में रुचि। पिछले शैक्षणिक सत्र में स्टूडेंट बार फोरम ने न केवल मूटिंग में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की है बल्कि अत्यधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन्हें कुशलता से संचालित किया है। स्टूडेंट बार फोरम में 100 से अधिक छात्रों का कार्यबल शामिल है, जिनमें से 20 कोर कमेटी के सदस्य हैं, जो विभिन्न विवादास्पद प्रतियोगिताओं को लगातार आयोजित करने के उद्देश्य से काम करने के लिए समर्पित हैं।

आयोजकों का संदेश

प्रिय प्रतिभागियों,

यह हमें बहुत संतोष और संतुष्टि की अनुभूति देता है कि इन भयावह समय में भी, हम एमिटी यूनिवर्सिटी में, छठी एमिटी राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2022 के लिए आप सभी का स्वागत और मेजबानी करने के लिए सबसे आगे हैं।

यह मंच नवोदित वकीलों के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से तैयार और समर्पित है। हम इस आयोजन को पूरे देश में अपनी तरह के अनूठे आयोजन के रूप में घोषित करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। यह कानून के छात्रों को कानून के ज्ञान की जांच करता है। यह वास्तव में युवा कानून के उम्मीदवारों को ऐसा मंच उपलब्ध कराने का एक प्रयास है ताकि वे कोर्ट की जड़ों को सहन कर सकें, जो जवाब में, किसी के समग्र सीखने के अनुभव का एक व्यापक क्षितिज खोलते हैं। कानून के अग्रणी संस्थानों में से और दुनिया भर में बढ़ती कानूनी श्रृंखलाओं में से, हम प्रतिभाशाली और उज्ज्वल छात्रों को समग्र और सार्थक कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार उपाय कर रहे हैं।

इस तरह के प्रयासों के दौरान, छठी एमिटी राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2022 में भाग लेने से छात्रों को दुनिया के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। एक अच्छा अधिवक्ता बनना एक धीमी गति से पकने वाला फल है और यह मूटिंग द्वारा किया जाता है। यह मूट कोर्ट प्रतियोगिता अनुभव छात्रों को कानूनी प्रक्रिया की समग्र समझ देगा और उम्मीदवारों को वकीलों की तरह

सोचने, कार्य करने और प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करेगा।
उच्च जोश और उत्साह रखते हुए, हाथ जोड़कर हम इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रचार करने के लिए सौहार्दपूर्ण निमंत्रण देते हैं और इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ
क्षमता के लिए संचालित करते हैं।
आप सभी के साक्षी होने की उच्च आशाओं के साथ,

सादर,

आयोजक समिति,

छठी एमिटी राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2022

स्टूडेंट्स बार फोरम

१. प्रतियोगिता का आयोजन

१.१ शासन प्रबंध

• राष्ट्रीय हिन्दी मूट प्रतियोगिता २०२२ में एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी, सेक्टर 125 नॉएडा के स्टूडेंट बार फोरम द्वारा आयोजित और प्रसाशित किया जाता है।

• प्रतियोगिता ("24-26") मार्च, २०२२ को ऑनलाइन आयोजित की जायेगी।

• संयोजक प्रोफेसर गार्गी भदोरया, एमिटी लॉ स्कूल, मूट प्रतियोगिता की फैकल्टी संयोजक है।

१.२ भाषा

• प्रतियोगिता हिन्दी भाषा में आयोजित की जायेगी। सभी राउंड और मेमोरयल सबमिशन हिन्दी में होगी ।

१.३ प्रतियोगिता की संरचना

• मेमोरयल सबममिन वाली टीमों को ही प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी , जिसमें पप्रारंभिक राउंड, सेमी फाइनल और फाइनल सम्मिलित है ।

१.४ नियमो की व्याख्या

• संजोयक इन नियमो के कार्यानवयन और व्याख्या के अंतिम मध्यस्थ के रूप में काम करेगी।

२. भागीदारी की व्याख्या

२.१ पात्रता

• एक टीम में एक से अधिक संस्थानों के सदस्य नहीं हो सकते है । इसी तरह, दो से अधिक टीम किसी भी संस्थान से भाग नहीं ली सकती है

२.२ टीम रचना

• प्रत्येक टीम में तीन सदस्य होंगे , जिसमें दो अभिवक्ता और एक शोधकर्ता शामिल होंगे ।

• किसी भी टीम के सदस्य को प्रतिस्थापन को पंजीकरण के बाद बदलने की अनुमति नहीं है । हालाकि अगर विपरीत मामलों में यह बदलना पड़े तो संयोजक की अनुमति से ही हो पायेगा ।

• टीमों में केवल एक ही शोधकर्ता हो सकता है ।

• एक समय में केवल एक वक्ता को बोलने की अनुमति दी जाएगी ।

३. पंजीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण-प्रारूप टीमों को ("4th March'2022”) तक (“register.hmc2022@gmail.com”) पर ईमेल भेजकर पंजीकरण कराना होगा, प्रत्येक टीम को एक कोड आवंटीत किया जायेगा।

३.१ पंजीकरण शुल्क – निशुल्क

४. मेमोरियल

४.१ मेमोरियल सबमिशन

• प्रतियोगिता में पंजीकृत प्रत्येक टीम को याचिकाकर्ता के पक्ष से तथा एक प्रतिवादी के पक्ष से मेमोरियल तैयार करना होगा।

• प्रत्येक टीम को अपने मेमोरियल को दिनांक (“10 मार्च”) तक जमा करना होगा।

• समय सीमा के भीतर प्रस्तुत मेमोरियल का मूल्यांकन नियम में प्रदान किये गए मापदंडो के अनुसार किया जायेगा।

• प्रतियोगिता के पूरे होने के बाद, आयोजक प्रस्तूत मेमोरियल का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

• मेमोरियल को आखरी तारीख़ तक जमा ना करने में असमर्थ होने वाली टीमों के हर दिन के आधार पर 5 अंक काट दिए जायेंगे।

• और एक हफ्ता पश्चात मेमोरियल जमा करने वाली टीमों को निष्काषित घोषित कर दिया जायेगा।

४.१ मेमोरियल प्रारूप

१. मेमोरियल की भाषा देवनागरी तथा शुद्ध होनी चाहिए I (Kruti Dev 010, Mangal Regular, DevLys 010 Normal.)

२. मेमोरियल दो प्रकार से बनाये जा सकते, या तो प्रिन्टेड या हस्त लिखित।

३. कवर पेज और पृष्ठ संख्या को छोड़कर, मेमोरियल के सभी हिस्सों की फॉन्ट शैली और आकार, देव नागरी 12-बिंदु में होनी चाहिए और फूट नोट 10-बिंदु में होना चाहिए।

४. मेमोरियल के सभी भागो के पाठ का अंतर 1.5 होना चाहिए। फुट नोट को सिंगल लाइन स्पेसिंग के साथ अलग किया जाना चाहिए।

४.३ मेमोरियल सामग्री

(A) मेमोरियल में निम्नलिखित खंड शामिल होने चाहिए :

•कवर पेज (याचिकाकर्ता /उत्तर पक्ष के आधार पर नीला/लाल)

• विषय-सूचि

• अधिकारियो का सूचकांक

• क्षेत्राधिकारी का विवरण

• तथ्यों का विवरण

• मुद्दों का विवरण

• तर्क का सारांश

• तर्क

• प्रार्थना

(B)तर्क २० श्रेष्ठ से अधिक नहीं होने चाहिए।
गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप प्रति अतिरिक्त पृष्ठ १ अंक का जुरमाना होगा।

(C) सम्पूर्ण मेमोरयल का कवर पृष्ठ सहित ३५ पृष्ठों से अधिक का नहीं होना चाहिए। गैर-अनुपालन के परिणाम स्वरुप प्रति पृष्ठ अतिरिक्त ३ अंक का जुरमाना होगा।

(D) फुट नोट के लिए ब्लूबुक के २० वे संस्करण का पालन करना चाहिए।

४.४ मेमोरियल मूल्यांकन

•प्रत्येक मेमोरियल के लिये अधिकतम १०० अंक होंगे। मेमोरियल का मूल्यांकन
निम्नलिखित मापदंडो पर किया जायेगा:

कानून और तथ्यों का ज्ञान	**२५ अंक**
उचित और स्पष्ठ विश्लेषण	**२५ अंक**
अनुसंधान , बिन्दुओं का विस्तार और	**२० अंक**
स्पष्टता और संगठन	**२० अंक**
व्याकरण और शैली	**२० अंक**

५. मूट प्रक्रिया

५.१ सामान्य प्रक्रिया

• मौखिक दौर में दो प्रारंभिक दौर, सेमी फाइनल और फाइनल राउंड शामिल होंगे।

• आवेदक का प्रतिनीधित्व करने वाली टीम सबसे पहले अपनी दलीले प्रस्तुत करेंगी,उसके बाद टीम उत्तरदाता का प्रतिनीधित्व करेंगी। तर्कों के पूरे होने पर, आवेदक के पास प्रतिवादी प्रस्तुत करने का विकल्प होगा, जिसके बाद उत्तरदाता होगा। जजो के विवके के अधीन सुर–खंडन (Rebuttal) की अनुमति नही होगी।

• प्रारंभिक राउंड के लिए प्रत्येक टीम द्वारा पप्रस्तुत पक्ष और विपक्ष के लिए वक्ता स्कोर का कुल योग होगा ।

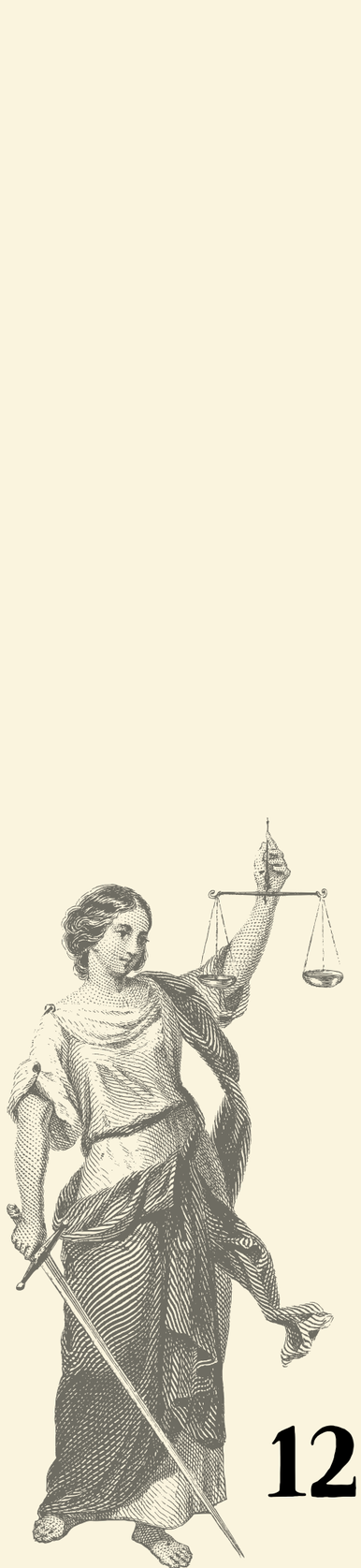

५.२ मौखिकप्रक्रियाओं के लिए प्रक्रिया

• प्रत्येक टीम को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए ३० मिनट आवन्तिक किये जायेंगे, इसमें न्यायाधीशों के विवेक के आधीन , उन्नत , खंडन और सुर-खंडन आवंड़ित समय में ही शामिल होगा।
• दो वक्ताओं के बीच समय का विभाजन टीम के विवेक पर निर्भर है , हलाकि , प्रत्येक स्पीकर को न्यूनिम १० मिनट के लिए बोलना होगा।
• मेमोरियलो में मौखिक तर्कों को मुद्दो से आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
• शोधकर्ताओं को बोलने वालो के साथ मौखिक दौर के लिए बैठने की अनुमति है।
• मौखिक दौर के लिए अधिकतम अंक प्रति न्यायधीश प्रति वक्ता १०० अंक होंगे।
• मौखिक दौर का मूल्यांकन १०० अंकों में से किया जायेगा और मूल्यांकन का आधार निम्नानुसार होगा :

कानून और तथ्यों का ज्ञान	**२५ अंक**
उचित और स्पष्ठ विश्लेषण	**२५ अंक**
अनुसंधान , बिन्दुओं का विस्तार और	**२० अंक**
स्पष्टता और संगठन	**२० अंक**
व्याकरण और शैली	**२० अंक**

न्यायपीठ, प्रारंभिक दौर में कम से कम दो न्यायधीशो का गठन करेंगे।
• प्रारंभिक दौर में कोई भी टीम एक से अधिक बार एक ही बेंच का सामना नहीं करेगी।

• प्रत्येक टीम के लिए कुल स्कोर प्रारंभिक दौर का योग होगा।

५.५ सेमी फाइनल

• दोनों प्रारंभिक दौर के अंक जोड़ के जो भी टीम के सबसे अधिक अंक होंगे वह चार टीम सेमि फाइनल में जायेंगे।
• सेमि फाइनल राउंड नॉक आउट राउंड्स होंगे ।

५.६. फाइनल

• दो सेमी फाइनल में से प्रत्येक की विजेता टीम फाइनल राउंड के लिए आगे बढ़ेगी। फाइनल राउंड के विजेता को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जायेगा।

६. शोधकर्ताओं का परीक्षण

• शोधकर्ताओं का परीक्षण प्रतियोगिता के दिन १ पर आयोजित किया जायेगा।
• परीक्षण केवल ६० (60) मिनट की अवधि के लिए होगा।
• परीक्षण में संविधानिक, अपराधिक कानून और मुद्दों के आधार पर उद्देश्य और विश्लेषणात्मक प्रश्न दोनों शामिल होंगे।

७. स्काउटिंग

• टीमों को किसी अन्य टीम के अंको का निरिक्षण करने की अनुमति नही है।

• जब तक की उन्हें आधिकारिक तौर पर प्रतियोगिता से बाहर नहीं कर दिया हो, स्काउटिंग सख्त वर्जित है ।
• किसी भी टीम द्वारा की गयी स्काउटिंग उन्हें अयोग्य कर देगी।

८. पुरस्कार

• विजेता टीम पुरुस्कार : पुरुस्कार राशि और इ-सर्टिफिकेट
• रनर अप टीम पुरूस्कार : पुरस्कार राशि और इ-सर्टिफिकेट
• श्रेष्ठ मेमोरियल पुरस्कार: इ-सर्टिफिकेट
• श्रेष्ठ शोधकर्ता पुरस्कार: इ-सर्टिफिकेट
• श्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार: इ-सर्टिफिकेट

९. अनोनिमिटी

• प्रतियोगिता के दौरान सभी टीमों को उनके टीम कोड का ही उपयोग करना होगा।
• प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी के दौरान सभी टीम के सदस्यों को किसी भी
समय और किसी भी तरीके से अपनी संस्था की पहचान का खुलासा करने से बचना होगा।
• इस नियम का पालन न करने पर टीम को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया
जायेगा। इस सम्बन्ध में संयोजक का निर्णय अंतिम होगा।
• राउंड के परिणाम के सम्बन्ध में न्यायधीशों का निर्णय अंतिम होगा।

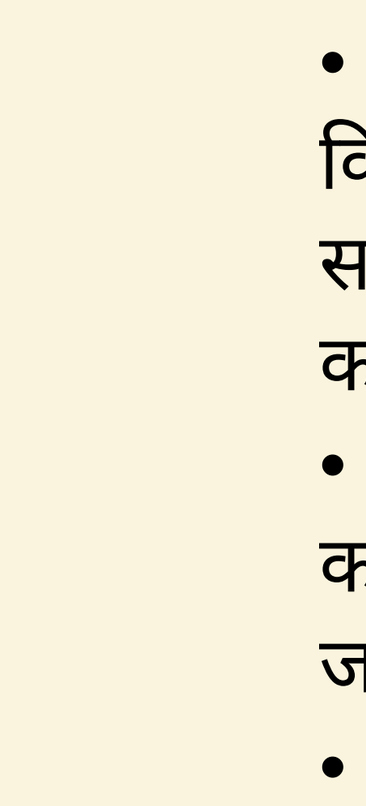

सामान्य और तकनीकी निर्देश:

1. टीमों को अनिवार्य रूप से Microsoft (Ms Teams) के माध्यम से प्रारिंमभक राउंड के मलए सुबह (10) बजे प्रस्तुत होना होगा।

2. मेमोरियल एक्सचेंज ब्लू बुक के प्रावधानों के अनुसार होगा, और विरोधियों को उनके सम्बंधित आवासी के बारे में एक Whatsapp group के माध्यम से उन्हे बताया जायेगा, जिसमें प्रतियोगिता से एक हफ्ते पहले सभी टीमों को जोड़ा जायेगा।

3. दोनों मौखखक राउंड्स के लिए ड्रेस कोड औपचारिक होगा।

4. संग्रह विवरण(Compendium Details)- संकलन का मुख्य पृष्ठ याचिकाकरता के लिए नीला तथा प्रतिवादी के लिए लाल होना चाहिए।

5. याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के संकलन का नाम उनका टीम कोड होना चाहिए साथ ही वह उनकी साइड भी दर्शाता हो।

6. प्रतियोगियों को Microsoft Teams के माध्यम से शाम 5 बजे, **22 मार्च** को एक ब्रीकफिंग सेशन दिया जायेगा, जिसमें उनके प्रतियोगिता से सम्बंधित सारे सवालों का समाधान प्रदान किया जायेगा।

7. प्रतियोगिता में मौखिक राउंड के दौरान दोनों वक्ताओं को अनिवार्य रूप से पुरे समय ऑनलाइन प्रस्तुत रहना होगा।

8. प्रतियोगिता के मौखिक दौर मे किसी को भी स्क्रीन शेयरिंग की अनुमति नहीं है।

9. यदि कोई टीम मौखिक राउंड में प्रदर्शित होने में असामर्थ्य रहती है , उस स्तिथि में उन्हें 5 मिनट दिए जायेंगे वापिस जुड़ने के लिए , परन्तु फिर भी जुड़ पाने में विफल रहने वाली टीम को अंत: निष्काषित कर दिया जाएगा। यह भी सिर्फ दो बार तक हो सकता है।

10. सभी प्रतिभागिओ को नियम पुस्तक के अनुसार अपने तर्क स्थापित समय में ही पुरे करने होंगे। विभन्न दौरों के अनुसार आवंटित समय अवधि के भीतर जाने पर अगले वक्त का समय कम कर दिया जायेगा, परन्तु यह भी न्यायधिशो के फैसले के ऊपर निर्भर करता है।

11. शोधकर्ता की परीक्षा – सभी शोधकर्ताओं से अनिरोध है की वे Microsoft Ms Teams के माध्यम से 10 मिनट में जुड़ पाए। शोधकर्ताओं की परीक्षा की लिंक उन्हें 1 दिन पहले Whatsapp Group/mail के ज़रिये भेज दिया जायेगा।

12. शोधकर्ताओं के लिए अनिवार्य रहेगा की वह वीडियो (Video) पूरे समय चलाये रखें, तथा अपने माइक (Mics) पूरे समय के लिए बंद रखें। हलाकि किसी भी समस्या के मामले में वे अपने माइक का इस्तेमाल कर सकते है।

13. शोधकर्ताओं की परीक्षा Google Forms पर ली जाएगी, और इसी के लिए सभी शोधकर्ताओं से अनिरोध है की वह पहले ही sign up करके रखें।

14. सभी शोध कर्ताओ के पेपर लिखित समय के अंदर ही जमा हो जाने चाइये अन्यथा निर्धारित समय से बहार हो जाने पर उनके पेपर जमा नहीं किये जायेंगे।

ध्यान रखे - यदी दो या अधिक शोधकर्ता एक ही अंक प्राप्त है तो उनके मेमोरियल के अनुसार रैंक तैय की जाएगी।

एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के स्तंभ

डॉ. अशोक चौहान

(संस्थापक अध्यक्ष एमिटी समूह)

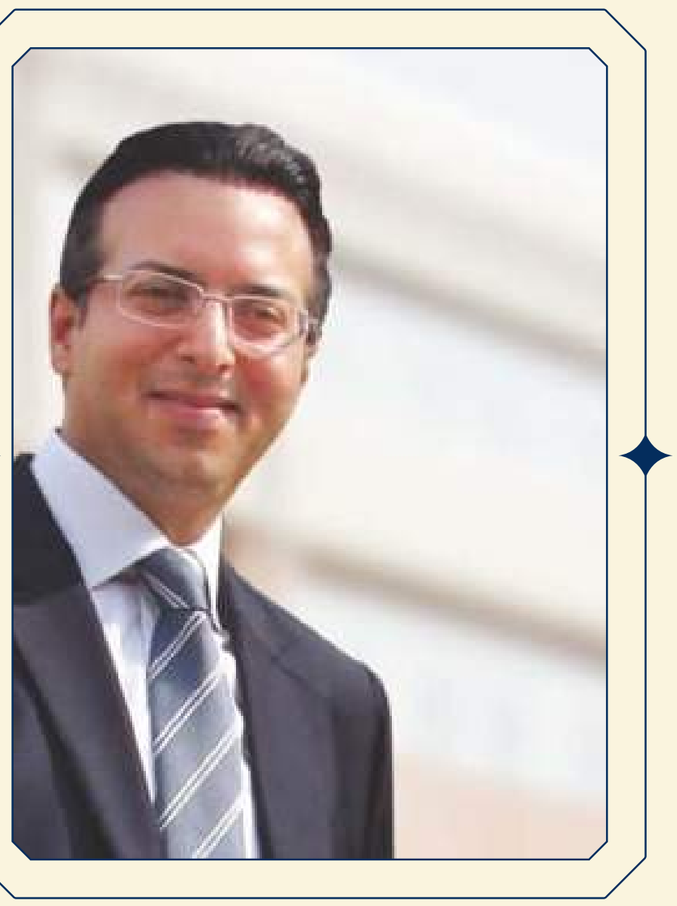

डॉ. अतुल चौहान

(कुलाधिपति ए. यू. यू. पी)

प्रो. डॉ. बलविंदर शुक्ला

(कुलपति ए .यू .यू .पी)

प्रो. डॉ. डी .के .बंदोपाध्याय

अध्यक्ष एमिटी लॉ स्कूल

(मुख्य सलाहकार संस्थापक अध्यक्ष कार्यालय)

प्रो.डॉ.आदित्य तोमर

(उपनिदेशक एमिटी लॉ स्कूल नोएडा)

प्रो.डॉ.शेफाली रायजादा

(उपनिदेशक, एमिटी लॉ स्कूल नोएडा)

श्री तुषार वेद सक्सेना

(संस्थापक अध्यक्ष स्टूडेंट बार फोरम)

श्रीमती गार्गी भदौरिया

(संयोजक स्टूडेंट बार फोरम)

सुश्री मीनू शर्मा

(संयोजक स्टूडेंट बार फोरम)

श्रीमती रिचा यादव

(सहसंयोजक स्टूडेंट बार फोरम)